उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-08/2017/129/92-2-18-101जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 17 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप उ0प्र0 सरकार की महत्वपूर्ण योजना के कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण न करने, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भवन निर्माण कार्य की त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त मन्द पाये जाने के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-54/2016/1503/92-2-16-101जांच/16, दिनांक 01-09-2016 द्वारा श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती के पत्र दिनांक 25-04-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कुल-01 आरोप स्थापित नही पाया गया, परन्तु शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त जनपद बलरामपुर के 03 राजकीय उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालय भवन के निर्माण कार्यो की प्रगित मन्द पाये जाने तथा प्रगति रिपोर्ट गलत प्रस्तुत करने हेतु अपचारी अधिकारी, श्री सक्सेना को उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-09-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें परिनिन्दा का दण्ड देते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-07-2017 समाप्त कर दी गयी।

3- शासन द्वारा पारित उक्त परिनिन्दा दण्ड के विरूद्ध श्री ए0के0 सक्सेना द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 31.07.2017 पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि पारित उक्त निर्णय में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9 के उप नियम (2) एवं (4) तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 22.04.2015 के प्रस्तर-10 में अन्तर्निहित प्रावधानों एवं नियमों को त्रुटिवश संज्ञान नहीं लिया गया। अत: उक्त त्रुटि को परिमार्जित कर विधिक/नियमित करने हेतु श्री ए0के0 सक्सेना के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 15.11.2017 को प्रास्थगित रखते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-3087/92-2-2017-101जांच/16, दिनांक 15.11.2017 द्वारा श्री सक्सेना को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके पत्र दिनांक 24.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री ए0के0 सक्सेना द्वारा निम्न तथ्य उल्लिखित किये गये है :-

(क) भवन निर्माण कार्यो की दिनांक 06-06-2016 की प्रगति समीक्षा की प्रगति रिपोर्ट में, राजकीय उच्चीकृत विद्यालय रामगढ मेटहवा, छपिया सुखरामपुर एवं शिवपुर महन्त में कार्य प्रारम्भ/समाप्ति तिथि, संबंधित प्रगति सहायक द्वारा, गलत इंगित की गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: उनके द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-1कैम्प/दिनांक 01-07-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी।

निर्माण कार्यो की कार्य प्रारम्भ/समाप्ति तिथि निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	त्रुटिवश इंगित कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य प्रारम्भ की अनुबंधनुसार तिथि	त्रुटिवश इंगित समाप्ति तिथि	कार्य समाप्ति की अनुबंधनुसार तिथि
1	राजकीय उच्चीकृत माध्य0 विद्यालय रामगढ मटेहवा	19.04.2016	08.03.2016	06.05.2016	07.09.2016
2	राजकीय उच्चीकृत माध्य0 विद्यालय छपियासुखराम	07.11.2015	10.02.2016	06.05.2016	09.10.2016
3	राजकीय उच्चीकृत माध्य0 विद्यालय शिवपुर महन्त	07.11.2015	10.02.2016	06.05.2016	09.10.2016

(ख) राजकीय उच्चीकृत विद्यालय, शिवपुर महन्त में जमीन न मिलने से कार्य की धनराशि रू0 25.99 लाख उनके कार्यालय पत्रांक-751 दि0 28.11.2016 द्वारा विद्यालय निरीक्षक, बलरामपुर को वापस कर दी गयी थी।

(ग) प्रगति पुस्तिका में, उक्त भवन निर्माण कार्यो की प्रगति क्रमश: 25, 20, 0 प्रतिशत एवं कार्य समाप्ति की तिथियां, त्रुटिपूर्ण 06.05.2016 अंकित होने से समीक्षा के समय निर्माण कार्यो की प्रगति अत्यन्त मन्द प्रतीत हो रही थी, जबकि वासतविक समाप्ति तिथि क्रमश: 07.09.2016, 09.10.2016 एवं 09.10.2016 के अनुसार, कार्य की प्रगति समानुपातिक रूप से (शिवपुर मंहन्त में भूमि न मिलने से, शून्य) ठीक थी। उस समय तक, प्रखण्ड-कार्यालय में, कार्यो का एक्सट्रेक्ट ऑफ बाण्ड प्राप्त न होने से अनुबंध की वास्तविक तिथियॉं, समीक्षा के समय नही बतायी जा सकी थी।

(घ) अवगत है कि निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय आदेश पत्रांक-985/दिनांक 30.07.2016 के द्वारा श्री सक्सेना को इस संबंध में पूर्व में ही सचेत किया गया है।

(च) श्री सक्सेना द्वारा निर्माण कार्यो में कोई उदासीनता एवं लापरवाही नही की तथा पूर्ण निष्ठा से कार्य कराया गया।

श्री सक्सेना द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2017 में उन्हीं सभी स्थितियों/परिस्थियों का उल्लेख किया है, जो उनके द्वारा पूर्व में ही जांच अधिकारी को उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर में दिया गया था। अभ्यावेदन में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नहीं है।

7- इस प्रकार अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा अपने बचाव उत्तर में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। चूंकि श्री सक्सेना के प्रत्यावेदन में कोई अतिरिक्त तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अत: श्री ए0के0 सक्सेना को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-106/2017/726/92-2-17-101जांच/16, दिनांक 11.07.2017 द्वारा दिये गये "परिनिन्दा" के दण्ड को समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव श्री ए0के0 सक्सेना, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर का प्रत्यावेदन दिनांक 24.11.2017 एतद्द्वारा बलहीन पाये जाने पर निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-08/2018/129(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री ए0के0 सक्सेना, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।